छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग—दो

बुधवार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 (कार्तिक 4, 1944)

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से निष्कासित सदस्य श्री धर्मजीत सिंह की दलीय संबद्धता के संबंध में

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा डॉ. रेणु जोगी द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2022 को यह सूचित किया कि श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य विधान सभा को 6 वर्ष के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) पार्टी से निष्कासित किया गया।

संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया (कौल शकधर) के पृष्ठ—510 के पैरा तीन, माननीय उच्चतम न्यायालय के जी. विश्वनाथन विरूद्ध अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा के मामले में दिये गये निर्णय एवं अमर सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं जयाप्रदा विरूद्ध भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में निष्कासित सदस्यों की स्थिति एवं ऐसे सदस्य पर संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 किस सीमा तक लागू होगा तथा राजनीतिक दल से निष्कासित सदस्य की वैधानिक स्थिति क्या होगी, पर माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वरिष्ठ पीठ के समक्ष विचाराधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य विधान सभा की सभा में निम्नानुसार स्थिति रखे जाने के निर्देश माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये हैं —

1. माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य विधान सभा को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से निष्कासित किये जाने पर, उन्हें सभा में असंबद्ध सदस्य के रूप में अभिलिखित नहीं किया जायेगा।

2. माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य विधान सभा को उनके दल से निष्कासित किये जाने के बाद भी उन्हें जिस दल से निर्वाचित हुए हैं, उसी दल का सदस्य माना जायेगा।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के अमर सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं जयाप्रदा विरूद्ध भारत सरकार के मामले में निर्णय अनुसार निष्कासित सदस्यों को दसवीं अनुसूची के प्रावधान लागू होने से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में माननीय श्री धर्मजीत सिंह सदस्य पर दसवीं अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

4. माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य विधान सभा पंचम विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित सदस्य श्री अमित जोगी के मामले में दिनांक 15 मार्च, 2016 को लिये गये निर्णय के अनुसार सदन में **स्वतंत्र** अर्थात् **free (Politicaly Independent)** के रूप से सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे।

5. माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के लिए सभा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के सदस्यों से अलग बैठने की व्यवस्था की जायेगी।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा